भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 204
उत्तर देने की तारीख 2 5नवंबर, 2024
अग्रहायण 4,) 1946 शक(

भारतीय ओलंपिक संघ को किए जाने वाले भुगतानों में निलंबन

204. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और ओलंपिक सोलिडेरिटी ने ओलंपिक छात्रवृत्तियों से लाभान्वित होने वाले एथलीटों को सीधे भुगतान को छोड़कर भारतीय ओलंपिक संघ को किए जाने वाले सभी भुगतानों को निलंबित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईओए कोषाध्यक्ष ने दावा किया है कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड (आरआईएल) के साथ दोषपूर्ण प्रायोजन करार के कारण आईओए को 24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा करने के लिए कोई जांच शुरू की है और यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) भारतीय ओलंपिक संघ को किए जाने वाले भुगतान को पुन: जारी रखे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने 11 अक्टूबर, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से आईओए को अवगत कराया है कि

आईओसी और ओलंपिक सॉलिडेरिटी, ओलंपिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित एथलीटों को सीधे भुगतान करने के अलावा आईओए को कोई अन्य भुगतान नहीं करेंगे।

(ख) आईओए ने सूचित किया है कि आईओए ने 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक प्रायोजन समझौता किया है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ऑडिट टीम ने मामले में अपनी टिप्पणियां देते हुए 12.09.2024 को आधा मार्जिन जारी किया है। आईओए ने सूचित किया है कि उसने सीएजी ऑडिट टीम को आधे मार्जिन संबंधी अपना उत्तर भेज दिया है।

(ग) आईओए एक स्वायत्त निकाय है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और अपने संविधान के अनुसार शासित होता है। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता स्कीम से आईओए को जारी किए गए अनुदान की निगरानी स्कीम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है।

(घ) चूंकि आईओए और आईओसी स्वायत्त निकाय हैं और आईओए के आईओसी से संबंध ओलंपिक चार्टर और आईओसी द्वारा अपने संबद्ध सदस्यों को जारी अनुदेशों के अनुसार शासित होते हैं, इसलिए इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

*****